न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2, गाजियाबाद।

पीठासीन अधिकारीः– पूनम सिंघल(एच.जे.एस.)
J.O CODE UP 2684
विविध फौजदारी विविध वाद सं० – 447/2024
कम्पयूटर पंजीयन सं०– 893/2024
CNR No.– UPGZ010126972024

अंकुर कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी– मकान नं०– ए– 343, सैक्टर–11, विजयनगर, थाना– विजयनगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।

..... प्रार्थी/रिविजनकर्ता

बनाम

1– श्रीमती रश्मि पुत्री चरण सिंह उर्फ चुन्नू पत्नी अंकुर कुमार व निवासी– शक्ति विहार, अब्राहिम जुनिदरपुर उर्फ मौजपुर, थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश हाल निवासी मकान नं०– ए–343, सैक्टर–11, विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।
2– चरण सिंह उर्फ चुन्नू पुत्र भगवन सहाय
3– मोहित कुमार पुत्र चरण सिंह उर्फ चुन्नू
4– श्रीमती राजवती पत्नी चरण सिंह उर्फ चुन्नू
निवासीगण शक्ति विहार, अब्राहिम जुनिदरपुर उर्फ मौजपुर, थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश
5– मनोज कुमार (कांस्टेबल) थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।
6– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रिमिनल डी०जी०सी० सिविल कोर्ट राजनगर गाजियाबाद ।

..... विपक्षीगण/उत्तरदातागण

दिनांक 03.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षों को विस्तारपूर्वक सुना गया।

2. प्रार्थी/रिविजनकर्ता की तरफ से धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ प्राप्त करने हेतु 3 ख प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ पत्र 4 ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि रिविजनकर्ता दिनांक 16.03.2014 को बीमार हो गया जिस कारण दिनांक 21.03.2024 तक अस्पताल में भर्ती रहकर उपचार कराया और एक सप्ताह के लिये डॉक्टर के द्वारा आराम करने के लिये सलाह दी तथा आराम होने के बाद प्रार्थी अपनी नौकरी पर हाजिर रहा और दिनांक 01.08.2024 तक बार–बार प्रयास करने पर अवकाश नहीं मिला और दिनांक 02.08.2024 को अवकाश मिलने पर अपने अधिवक्ता के पास आया जिनके द्वारा नकल सवाल प्रस्तुत किया और दिनांक 05.08.2024 को प्रार्थना पत्र योजित किया। रिविजनकर्ता या उसके अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर उक्त क्रिमिनल रिविजन दायर करने में कोई देरी या गलती नहीं की गयी है जो भी गलती हुई है वह उक्त कारणवश हुई है। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर उक्त विविध फौजदारी निगरानी योजित करने में हुई देरी को माफ किये जाकर अंर्तगत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम का लाभ देते हुए फौजदारी निगरानी समय अवधि माना जाकर स्वीकार कर सुना जाने के आदेश किये जाने की प्रार्थना की गई।

3. विपक्षीगण/उत्तरदातागण की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत दाखिल नहीं की गयी तथा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/रिविजनकर्ता द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया गया है जिस कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त कथनों के आधार पर निगरानीकर्ता का उक्त प्रार्थना पत्र खण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. उक्त फौजदारी विविध वाद का निस्तारण करने से पूर्व धारा–5 परिसीमा अधिनियम का उल्लेख करना समीचीन होगा किः–

धारा–5 कतिपय अवस्थाओं में विनिर्दिष्ट परिसीमा अवधि का विस्तार–

Digitally signed by POONAM SINGHAL
Date: 2026.07.03 16:56:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबन्धों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विनिर्दिष्ट काल के पश्चात भी ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर कि उसके पास ऐसे काल के अंदर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

***धारा–5 के अक्षरशः** पढ़ने से भी यह स्पष्ट है कि निश्चित समयावधि के पश्चात दायर किए गए किसी आवेदन को सुनने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। यदि आवेदनकर्ता विलम्ब का संतोषजनक व पर्याप्त कारण न्यायालय को दर्शाये ।*

5. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.01.2024 के विरुद्ध फौजदारी निगरानी दायर करने में हुये विलम्ब को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत माफ करने हेतु प्रार्थना की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से स्पष्ट है प्रार्थी/निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी दायर करने में हुई देरी के संदर्भ में अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि दिनांक 16.03.2014 को निगरानीकर्ता बीमार हो गया तथा दिनांक 21.03.2024 तक अस्पताल में भर्ती रहा, जिससे संबंधित प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं जिसके उपरांत डॉक्टर द्वारा उसे आराम करने की सलाह दी गयी तथा आराम होने के बाद प्रार्थी अपनी नौकरी(सशस्त्र सीमा बल, अरूणाचल प्रदेश) पर चला गया, जहां प्रयास करने पर उसे कोई अवकाश नहीं मिला तथा अवकाश मिलने पर उसके द्वारा दिनांक 05.08.2024 को निगरानी योजित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। चूंकि, मुन्सरिम की आख्या में निगरानी दायर करने में हुये विलंब की अवधि अंकित नहीं की गई है, किंतु पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से स्पष्ट है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता के द्वारा अपील दायर करने हेतु निर्धारित की गई समय सीमा के अनुसार लगभग 104 दिन का विलंब है। यहां यह उल्लेखनीय है कि निगरानी दायर करने में हुये विलंब को यदि माफ नहीं किये जाने पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता का अधिकार विपरीत रुप से प्रभावित हो सकता है, किन्तु इसके विपरीत यदि विलंब को माफ कर दिया जाये तो उसका प्रभाव केवल यह होगा कि दोनों पक्षों को सुनने का समान अवसर दिये जाने के पश्चात ही गुण–दोष के आधार पर ही निगरानी का निस्तारण होगा, जिससे दोनों ही पक्षों के अधिकारों की रक्षा मुमकिन है और इससे विपक्षीगण को भी अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह परिलक्षित हो कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से विलंब जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया हो, अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा विलंब के लिए दर्शाया गया कारण संतोषजनक है।

6. देरी माफी के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विधि व्यवस्थाओं के आलोक में, जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा यह मत अवधारित किया गया कि "देरी माफी के प्रार्थना पत्र निस्तारण करते समय प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा दिन–प्रतिदिन की देरी का स्पष्टीकरण लेना आवश्यक नहीं है तथा देरी माफी प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय न्यायालय को अधिक तकनीकी नहीं होना चाहिए।" प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर न्यायालय कठोर रूख अख्तियार करें। अतः उपरोक्त वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांत धारा–5 में दी गई न्यायालय की शक्ति के अधीन प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र(कागज संख्या 3ख) अन्तर्गत धारा– 5 परिसीमा अधिनियम अंकन 500/–रूपये हर्ज के साथ स्वीकार किया जाता है, जो विपक्षीगण को देय होगा तथा निगरानी दायर करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, गाजियाबाद को अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाये। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 17.07.2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

दिनांकः– 03.07.2026

(पूनम सिंघल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद ।